126

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग,राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/ 17835 दिनांक 12/03/18

स्वीकृति आदेश

राज्य मंत्री मण्डल की आज्ञा संख्या 204/2012 दिनांक 04.10.2012 के द्वारा राज्य के आठ शहरों यथा– श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा में जल प्रदाय योजनायें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसकी पालना में उक्त आठ नगर निकायों को हस्तान्तरित शहरी जलापूर्ति के संचालन एवं संधारण हेतु, वर्ष 2017–18 में निकायों द्वारा प्राप्त जल राजस्व की राशि के अतिरिक्त, रूपये 993.85 लाख(द्वितीय किस्त) संलग्न सूची अनुसार निम्नांकित बजट मद में व्यय अंकित करते हुये श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमूं एवं नोखा नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की एतद् द्वारा स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:–

नाम मद	
मांग संख्या – 29	
2217 – शहरी विकास 80 – सामान्य 192 – नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता (36) – विभिन्न शहरी निकायो की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण	
[01] – विद्युत प्रभार हेतु 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्व)	राशि रूपये 845.00 लाख
[02] – वितरण प्रणाली में सुधार हेतु 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्व)	राशि रूपये 65.25 लाख
[03] – अनुरक्षण एवं मरम्मत 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्व)	राशि रूपये 54.00 लाख
[04] – रासायनिक प्रभार हेतु 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्व)	राशि रूपये 9.60 लाख
[05] – बल्क वाटर सप्लाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भुगतान करने हेतु– 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (प्रतिबद्व)	राशि रूपये 20.00 लाख
कुल योग	राशि रूपये 993.85 लाख

1. राशि का आहरण/रिलीज एक साथ न किया जाकर मासिक रूप से किया जायेगा।
2. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा इन योजनाओं के संधारण पर (स्टाफ के अतिरिक्त) अपने बजट से कोई व्यय नहीं किया गया है।
3. उक्त राशि जिस प्रयोजन के लिए जारी की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए राशि का उपयोग नहीं किया जावेगा।
4. वर्ष 2017–18 में निकायों को आवंटित/हस्तान्तरित राशि में से शेष बची राशि का समायोजन अगले वित्तिय वर्ष में किया जायेगा।

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा संबंधित नगर परिषदों/पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय–3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक: 171800158 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/17836—871 दिनांक 12/03/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव (बजट)/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि निकायों के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति जारी करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
9. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निवासी लेखा परिक्षाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वित्तिय सलाहकार, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर /जैसलमेर/बूंदी /नागौर/करौली/ राजसमन्द /जयपुर (ग्रामीण)/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के कॉलम संख्या 19 में अंकित राशि माह अक्टुबर 2017 से माह फरवरी 2018 में प्रतिमाह एवं कॉलम संख्या 20 में अंकित राशि माह मार्च 2018 में संबंधित नगरीय निकाय के निजी निक्षेप खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, श्रीगंगानगर/जैसलमेर/बूंदी/नागौर/करौली/नाथद्वारा/चौमूं/नोखा को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित राशि का उपयोग जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण पर ही मदवार किया जाना सुनिश्चित करें। मदवार आवंटित राशि से अधिक व्यय करने पर आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
16. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय, जयपुर।
17. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा, निदेशालय, जयपुर।
18. सुरक्षित पत्रावली, निदेशालय, जयपुर।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

नगरीय निकायों को हस्तान्तरित आठ शहरी जल प्रदाय योजनाओं (श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौंमू एवं नोखा) के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 मे द्वितीय किश्त में जारी अनुदान राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क.सं.	नाम निकाय	बजट मद: 2217-80-192-(36)-[01] विद्युत प्रभार- 12- सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)			2217-80-192-(36)-[02] वितरण प्रणाली में सुधार- 12- सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)			2217-80-192-(36)-[03] अनुरक्षण एवं मरम्मत- 12- सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)			2217-80-192-(36)-[04] रासायनिक प्रभार- 12- सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)			2217-80-192-(36)-[05] बल्क वाटर सप्लाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भुगतान करने हेतु- 12- सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध)			कुल		
		आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि	आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि	आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि	आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि	आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि	आवंटित राशि	माह अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 में प्रति माह देय राशि	माह मार्च 2018 में देय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर (1106)																		
1	श्रीगंगानगर	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	कोष कार्यालय, जैसलमेर (1112)																		
2	जैसलमेर	**0.00**	**0.00**	0.00	**9.30**	7.75	1.55	**7.70**	6.42	1.28	**1.60**	1.33	0.27	**0.00**	0.00	0.00	**18.60**	15.50	3.10
	कोष कार्यालय, बूंदी (1100)																		
3	बूंदी	**240.00**	**200.00**	40.00	**9.30**	7.75	1.55	**7.70**	6.42	1.28	**3.00**	2.50	0.50	**0.00**	0.00	0.00	**260.00**	216.67	43.33
	कोष कार्यालय, नागौर (1120)																		
4	नागौर	**45.00**	**37.50**	7.50	**9.30**	7.75	1.55	**7.70**	6.42	1.28	**0.00**	0.00	0.00	**15.00**	10.00	5.00	**77.00**	61.67	15.33
	कोष कार्यालय, करौली (1119)																		
5	करौली	**130.00**	**108.33**	21.67	**9.30**	7.75	1.55	**7.70**	6.42	1.28	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**147.00**	122.50	24.50
	कोष कार्यालय, राजसमन्द (1123)																		
6	नाथद्वारा	**165.00**	**137.50**	27.50	**9.45**	7.87	1.58	**7.70**	6.42	1.28	**5.00**	4.17	0.83	**5.00**	4.17	0.83	**192.15**	160.12	32.03
	कोष कार्यालय, जयपुर ग्रामीण (1109)																		
7	चौंमू	**170.00**	**141.67**	28.33	**9.30**	7.75	1.55	**7.70**	6.42	1.28	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**187.00**	155.83	31.17
	कोष कार्यालय, बीकानेर (1099)																		
8	नोखा	**95.00**	**79.17**	15.83	**9.30**	7.75	1.55	**7.80**	6.50	1.30	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**112.10**	93.42	18.68
	योग	**845.00**	**704.17**	**140.83**	**65.25**	**54.37**	**10.88**	**54.00**	**45.02**	**8.98**	**9.60**	**8.00**	**1.60**	**20.00**	**14.17**	**5.83**	**993.85**	825.71	168.14

(अक्षरे रूपये नौ करोड़ तिरानवे लाख पिच्चयासी हजार मात्र)

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner